समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्री रविशंकर वल्द गोपीलाल श्रीवास्तव
2. प्रभदयाल पिता गोपीलाल श्रीवास्तव

निवासी सुभाष नगर वार्ड तह. व जिला सागर (म.प्र.)

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 एंव संशोधन अधिनियम 31.12.11 के अनुसार.

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सागर जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक 81/अ/6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों सहित प्रस्तुत कर रहा है ।

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्न प्रकार है :'

1– यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा ललई टोरी हल्का नं. 67 स्थित भूमि खसरा नं. 12/4 में से रकवा 655.9 वर्कफुट भूमि आवेदक द्वारा आवेदक कमांक 2 से दिनांक 28.01.1978 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका विधिवत नगर पालिका निगम मे नामदर्ज किया जाकर मालिकाना हक चला आ रहा है। जिसके नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वैधानिक प्रकिया के उपरांत केता पक्ष की सहमति होने पर भी प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3459/I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2016	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमाँक 81/अ—6/2015—16 में पारित आदेश दिनाँक 20—07—2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर तर्क दिया है कि मौजा ललई टौरी हल्का नंबर 67 स्थित भूमि खसरा नंबर 12/4 में से रकवा 655.9 वर्गफुट भूमि आवेदक क्र.2 से दि. 28.01.78 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका विधिवत नगर पालिका निगम में नाम दर्ज किया जाकर मालकाना हक चला आ रहा है जिसके नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विचारण न्यायालय सम्पूर्ण वैद्यानिक प्रक्रिया के उपरांत क्रेता पक्ष की सहमति होने के उपरांत भी उल्लेखित भूमि का नामांतरण आवेदन निरस्त किया है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति एवं नगर पालिका निगम सागर में नाम दर्ज होने का प्रमाण सम्मपत्ति कर की रसीदें विद्युत बिल आदि प्रस्तुत किए थे। जिसके आधार पर आवेदक वर्तमान में क्रयशुदा भूमि पर निवासरत रहते हुए काबिज चला आ रहा है तथा विक्रेता आवेदक क्र.2 द्वारा प्रभुदयाल द्वारा नामांतरण किए जाने में अपनी सहमति दी है जिसका उल्लेख पारित आदेश के पैरा 4 में किया गया है इस कारण उन्होंने आवेदक का नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत बताते हुए पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत अन्य	

[क्र. प. उ.

R-3459/II/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दस्तावेजो का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन जिसमें भूमि का रकवा कम होने के आधार आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है जबकि आवेदक क्र.2 द्वारा नामांतरण किए जाने की सहमति का उल्लेख पारित आदेश में किया जाना पाया जाता है आवेदक की ओर से नगर पालिका निगम सागर में नाम दर्ज किए जाने आदेश दिनाँक 28.01.1988 की प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदक का निवासरत् स्थान पर काबिज होना प्रमाणित होता है। इस कारण तहसीलदार सागर द्वारा बिना किसी विधिक आधार के प्रस्तुत ओवदन पत्र निरस्त किया जाना वैद्य नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश दि.20.07.16 निरस्त किया जाकर निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	